संख्या-02/2021-2341/58-2020-100(2)/2001

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
एवं जनपदीय लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह),
उत्तर प्रदेश ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 05 जनवरी, 2021**

विषय :- आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस वर्ष अभी तक मौसम के अनुकूल रहने से प्रदेश में आलू की अधिक पैदावार होने की संभावना बनती जा रही है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि आलू का समय से भण्डारण सुनिश्चित कराने के लिए निजी शीतगृहों के संचालन हेतु निम्न बिन्दुओं पर आपके स्तर पर अविलम्ब समीक्षा कर ली जाय-

1. वर्ष 2021 के लिए जनपद में सभी चालू शीतगृहों को लाइसेंस नवीनीकरण हो गया है। जनपद में कोई भी शीतगृह बिना लाइसेन्स नवीनीकरण के न चलने पाये। प्राय: देखा गया है कि बिना लाइसेन्स नवीनीकरण के शीतगृहों द्वारा आलू भण्डारित कर लिया जाता है और भण्डारणकर्ताओं के आलू में क्षति होने पर वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है।
2. जनपद में सभी चालू शीतगृहों का लाइसेंस नवीनीकरण करते समय भवन एवं मशीनरी का बीमा, कम्प्रेशर तथा जनरेटर की स्टेण्ड बाई व्यवस्था, शीतगृह भवन एवं मशीनरी (अवशीतन प्रणाली) की सुदृढ़ता के संबंध में सक्षम अभियन्ता का वैधानिक प्रमाण-पत्र प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त निजी शीतगृहों में भवन एवं मशीनरी की खराबी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने वाले आलू के बचाव के लिए शासनादेश संख्या- 5701/58-1-2000, दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 एवं निदेशालय उद्यान के पृष्ठांकन सं0-1974, दिनांक 06 जनवरी, 2001 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. जो शीतगृह किन्ही कारणोंवश बन्द हैं, उन्हें आगामी भण्डारण सत्र हेतु चालू करने पर यथोचित कार्यवाही प्राथमिकता पर करा ली जाय।
4. शीतगृह में आलू भण्डारण के समय लगने वाली लम्बी कतार एवं सड़क जाम की समस्या के निदान हेतु शासनादेश सं0-3532/58-1-98-100(28)/98, दिनांक 16-10-1998 द्वारा शीतगृहों की भण्डारण क्षमता के सापेक्ष लाइसेंसधारियों की बुकिंग प्रक्रिया समय से प्रारम्भ की जाय। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भण्डारण क्षमता के 85 प्रतिशत की बुकिंग होने पर भरपूर प्रचार-प्रसार कराया जाय।
5. शासनादेश-385/58-1-2000(2)/2001, दिनांक 29.01.2001 द्वारा आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में आलू किसान अधिकार पत्र जारी किया गया है जिसे समस्त शीतगृहों पर 2x4 फिट के आकार के नोटिस बोर्ड पर पठनीय भाषा में लिखवाकर प्रत्येक शीतगृह के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसी के साथ-साथ उद्यान निदेशालय के पत्र संख्या-आलू-1942/शीतगृह, दिनांक 14.02.2002 द्वारा किसान अधिकार पत्र के

बिन्दु-04 के संबंध में उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 की धारा-22 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करा लिया जाय।

6. आलू भण्डारण से पूर्व जनपद के प्रत्येक शीतगृह में वर्ष 2021 के लिए निर्धारित किये गये भण्डारण प्रभार की सूचना अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा शीतगृह के मुख्य प्रवेश द्वार एवं सूचना पट पर भण्डारण प्रभार की दर अवश्य प्रदर्शित कर दी जाय।
7. भण्डारणकर्ताओं को शीतगृह पर आलू पहुँचाने के समय शीतगृह अधिनियम 1976 में वर्णित प्रारूप में तकपट्टी तुरन्त उपलब्ध करा दी जाय तथा शासनादेश संख्या-3532/58-1-98-100(28)/98, दिनांक 16.10.1998 के पैरा-8 के अनुपालन में तकपट्टी पर तौल एवं भण्डारण प्रभार दर भी लिखे जाने के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
8. उ0प्र0 शीतगृह विनियमन अधिनियम, 1976 एवं इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश तथा किसान अधिकार पत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. अग्निशमन विभाग द्वारा दिनांक 18.11.2019 को जारी दिशा-निर्देश प्रदेश के नये शीतगृहों/कोल्ड स्टोरेज के लिए लागू होंगे। पुराने शीतगृहों में अग्निशमन विभाग द्वारा दिनांक 22.10.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।
10. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-आलू 967,दिनांक 07.12.2020 द्वारा जारी निर्देश के अनुसार शीतगृह में भण्डारित किये जाने वाले कृषि उत्पाद का कृषि उत्पादन मण्डी समिति की निर्धारित दरों के अनुसार अप्रैल माह में स्टॉक का बीमा अवश्य करा लिया जाय।

उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अभी से रणनीति बना ली जाय, ताकि आलू भण्डारणकर्ताओं को शीतगृह में कोई असुविधा न हो।

कृपया कृत कार्यवाही से शासन तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्त शासनादेशों की प्रतियां।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-02/2021-2341(1)/58-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) निजी सचिव, मा0 उद्यान मंत्री, उ0प्र0 शासन।
(3) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) समस्त उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)

संयुक्त सचिव।